निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सानी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 586/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गोपाल पुत्र गोदिया जाति जाट, निवासी चक मोज्या, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री भंवर सिह जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नं. 72, करणी नगर, झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2024 ब–उनवानी राजेन्द्र सिंह राठौड़ बनाम कजोड़ व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री मदन लाल कुड़ी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रभू सिंह राजावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.11.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2024 ब–उनवानी राजेन्द्र सिंह राठौड़ बनाम कजोड़ व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री प्रभू सिंह राजावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.08.2025 नियत की गई। दिनांक 08.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को धमकी दी कि तुमने जो आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया था, उसको मैने दिनांक 05.08.2025 को खारिज करवा दिया है और अब आगामी तारीख पेशी पर उक्त प्रकरण का निर्णय मेरे पक्ष में करवाकर जबरन तुम्हारी भूमि में से रास्ता

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कायम करवा दूंगा। मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है और उन्होंने शीघ्र ही उक्त प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में करने हेतु आश्वासन दे रखा है। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों से पीठासीन अधिकारी को अवगत कराया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि मेरे ऊपर राजनैतिक व प्रशासनिक दबाव है, मैं उक्त प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में शीघ्र ही करूंगा। पीठासीन अधिकारी कानून के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 2 को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को न्यायालय परिसर के बाहर धमकी दी कि मैने मेरी राजनैतिक पहुंच से पीठासीन अधिकारी पर दबाव बना रखा है और वह शीघ्र ही उक्त प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में कर देंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढन्त आरोप लगाए गए है, तथापि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है, तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है कि प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाता है, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा भी प्रकरण को मुंतकिल किए जाने में सहमति प्रकट की गई है। चूंकि न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, परंतु न्याय किया जा रहा है, ऐसा लगना भी चाहिए, अतः न्यायहित में मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2024 ब–उनवानी राजेन्द्र सिंह राठौड़ बनाम कजोड़ व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को स्थानान्तरित किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार कैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner